

फि०न० 654/दावा/2017 बदीलाल बनाम रामभरोसी

13/11/2019

अधिवक्ता वादी उपस्थित है। माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय एवं डिडी दि० 19.08.2016 की पालना में तहसीलदार खानपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभय पक्ष को सुना गया, जिन्हे विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है।

अतः माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय एवं डिडी दि० 19.08.2016 की पालना में तहसीलदार खानपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम सारोलाकला की जमाबंदी स० 2062-65 खतीनी स० 363 की ख०न० 184 की 28.05 बीघा, 185 की 5.06 बीघा, 591 की 1.18 बीघा, 592 की 1.01 बीघा, 593 की 1.09 बीघा, 594 की 2.16 बीघा, 595 की 0.05 बीघा, 596 की 0.08 बीघा, 597 की 0.12 बीघा, 598 की 3.13 बीघा, 599 की 2.06 बीघा, 600 की 1.03 बीघा कुल 12 कित्ता रकबा 49.02 बीघा में से पक्षकारान को निम्नप्रकार खातेदार टीनेट घोषित किया जाकर आराजी प्रथक खाते दर्ज किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।


वादी :- बदीलाल पुत्र रामनाथ जाति ब्राह्मण निवासी सारोलाकला तह० खानपुर के पृथक खाते दर्ज होने वाली आराजी

क्र०स०	नाम ग्राम	ख०न०	रकबा(बीघा)	दिशा	वि०दि०
1	सारोलाकला	184	16.15	दक्षिण	मा दो नहरी 14.00 मा दो 2.15
2	सारोलाकला	591	0.18	पूर्व	
3	सारोलाकला	594	0.16	पूर्व	
4	सारोलाकला	595	0.05	सम्पूर्ण	
5	सारोलाकला	596	0.08	सम्पूर्ण	
6	सारोलाकला	597	0.12	सम्पूर्ण	
7	सारोलाकला	598	1.03	पूर्व	
8	सारोलाकला	599	2.06	सम्पूर्ण	
9	सारोलाकला	600	1.03	सम्पूर्ण	
कुलयोग		9 कित्ता	24.11		


प्रतिवादी न० 1, 2 - रामभरोसीबाई, मुन्नीबाई पुत्रिया मधुरालाल जाति ब्राह्मण निवासी सारोलाकला तह० खानपुर के पृथक खाते दर्ज होने वाली आराजी

क्र०स०	नाम ग्राम	ख०न०	रकबा(बीघा)	दिशा	वि०दि०
1	सारोलाकला	184/1	11.10	उत्तर	
2	सारोलाकला	185	5.06	सम्पूर्ण	
3	सारोलाकला	591/1	1.00	पश्चिम	
4	सारोलाकला	592	1.01	सम्पूर्ण	
5	सारोलाकला	593	1.09	सम्पूर्ण	
6	सारोलाकला	594/1	2.00	पश्चिम	
7	सारोलाकला	598/1	2.05	पश्चिम	
कुलयोग		7 कित्ता	24.11		

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। पृथक लगान कायम किया जावे। आराजी पर रहन का अंकन यथावत रहेगा। वादीगण निर्धारित नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पेरा करे। इस आशय की अंतिम डिडी मुर्तिब हो। निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।


 उपजाण्ड अधिकारी
 खानपुर जिला झानावाड़
 (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 13/11/2019 को सुते न्यायालय में सुनाया गया


 उपजाण्ड अधिकारी
 खानपुर जिला झानावाड़
 (राजस्थान)

